70 जिला कलैक्टर A3
2018 श्रीगंगानगर

**विविध बैंक प्रकरण सं0 70/2018(RCMS : 2018/00137) पंजाब नेशनल बैंक, एक निगमित निकास जिसक प्रधान कार्यालय 7, भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक , बीरबल चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि.एफ–382, रिको श्रीगंगानगर (ऋणी व जमानती) 2. मदन लाल सिंगल, निदेशक, श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि, 61 सी ब्लॉक(बंधककर्त्ता व जमानती) 3. सोनू सिंगल पुत्र मदन लाल सिंगल निदेशक श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि., निवासी 61 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर(बंधककर्त्ता व जमानती) 4 अनिल सिंगल पुत्र मदन लाल सिंगल निवासी 61 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर(जमानती)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**08.01.2019**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री विपिन सिद्ध, अभिभाषक एवं अप्रार्थी ऋणी फर्म की ओर से श्री वेद प्रकाश गर्ग, अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा फहरिस्त सूची के साथ ई–नीलामी की प्रति पेश की है। बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.18 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी 1. मैसर्स श्रीगंगनगर ग्वार गम प्राईवेट लि., 2. मदनलाल सिंगल, 3. सोनू सिंगल, 4. अनिल सिंगल को ऋण सुविधा के रूप में 3,50,00,000/–रूपये (अखरे रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) का ऋण दिनांक 25.07.2014 को स्वीकृत किया गया था, जिसका खाता नम्बर 0435008700501412 है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. सम्पत्ति एफ–382 साईज 3264 वर्गमीटर उद्योग विहार फेज द्वितीय, श्रीगंगानगर व अनिल सिंगल की सम्पत्ति डी–3, कुंज विहार विस्तार, श्रीगंगानगर साईज (39'X69') प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उक्त बंधक रखी गई दोनों सम्पित्तियां जिसमें उनकी भूमि, भवन ढांचा आदि जो की सम्बन्धित सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता संख्या 0435008700501412, जो दिनांक 31.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणी फर्म के नाम दिनांक 30.06.2018 को कुल 4,13,22,158/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण ऋणी फर्म/जमानतदारों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13.042017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पति श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. सम्पत्ति एफ–382 साईज 3264 वर्गमीटर उद्योग विहार फेज द्वितीय, श्रीगंगानगर व अनिल सिंगल की सम्पत्ति डी–3, कुंज विहार विस्तार, श्रीगंगानगर साईज (39'X69') में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ऋणी मैसर्स श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लिमिटेड वगैरा की ओर से श्री मदनलाल सिंगल, निदेशक जरिए अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 10893/2017 मै. गंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. बनाम पंजाब नेशनल बैंक में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 माननीय न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदन का खाता एन.पी.ए. होने के बाद भी Ghost account बनाकर ऋणी के जिम्मे धनराशि लिखी जा रही है। उनकी आगे यह भी आपत्ति है कि विवादग्रस्त सम्पत्तियों का कब्जा पूर्व में ही आवेदन बैंक के पास है और इसकी नीलामी हुई है, जिसके समर्थन में ई–नीलामी तिथि 30.10.2018 की प्रति पेश की है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र आधारहीन और निष्प्रभावी है। अतः खाारिज करने योग्य है।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांतों 2016(4) डीएनजे(राज.) पेज 1814, एआईआर 201 बॉम्बे पेज 32, एआईआर 2012 गुजरात पृष्ठ 90 एवं एआईआर 2009 केरला पेज 14 का हवाला देते हुए कथन है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी फर्म को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं, इसलिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर इस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

70/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A3 3



न्यायालय को विचार करने की कोई अधिकारिता नही है और न ही इस न्यायालय को किसी प्रकार से किसी के अधिकारों को तय करने की अधिकारिता है और न ही किसी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2018 में प्रस्तुत आपत्तियां विचार करने योग्य नहीं है। उनका आगे यह भी कथन है कि यदि अप्रार्थीगण फर्म को धारा 14 के तहत बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही से कोई आपत्ति हो तो वह सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष चाराजोही कर सकते है। उनका आगे यह भी कथन है कि बैंक द्वारा दिनांक 13.04.2017 को धारा 13(2) का जो नोटिस ऋणी फर्म/ जमानतदारों को दिया गया है उसके क्रम में दिनांक 08.07.2017 को ऋणी फर्म द्वारा जो आक्षेप प्रस्तुत किये गये थे। उनका बैंक द्वारा विधिवत् रूप से निस्तारण कर दिया गया है। चूंकि बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा जमा नहीं करवाई गई है, इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में धारा 14 के प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पुलिस के माध्यम से प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे।

**मैने प्रार्थी बैंक के** अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1. मै. श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि, 2. मदनलाल सिंगल, 3. अनिल सिंगल, 4. सोनू सिंगल जिनका खाता संख्या 0435008700501412 है, पर दिनांक 25.07.2014 को ऋण सुविधा के रूप में 3,50,00,000/– (अखरे रूपये तीन करोड़ पचास लाख रूपये) की सीसी लिमिट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी फर्म व जमानतदारों 1. मै. श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि, 2. मदनलाल सिंगल, 3. अनिल सिंगल, 4. सोनू सिंगल द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. सम्पत्ति एफ–382 साईज 3264 वर्गमीटर उद्योग विहार फेज द्वितीय, श्रीगंगानगर व अनिल सिंगल की सम्पत्ति डी–3, कुंज विहार विस्तार, श्रीगंगानगर साईज (39'X69') में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 31.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

70 जिला कलैक्टर A3
2018 श्रीगंगानगर 4



अप्रार्थीगण ऋणियों एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13.04.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति की एडी रसीदें रिकॉर्ड पर उपलबध है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र दिनांक 30.07.2018 के अनुसार उक्त धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 13.04.2017 के सम्बन्ध में ऋणियो की ओर से दिनांक 08.07..2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 15.07.2017 को उसका विधिवत् रूप से निस्तारण कर दिया गया था।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी फर्म की व जमानतदारों की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्तियों का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

**अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा स्वतः ही उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2018 में जो आपत्तियां की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने विशेषकर हमारा ध्यान 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य की ओर दिलाया है जिसके पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:—**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.
   There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 31.08.2018 में उठाई गई उक्त आपत्तियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में प्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2018 विचार करने योग्य नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**वित्तिय आस्तियों** का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गयी अचल सम्पतियाँ जो कि **श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि., एफ—382 साईज 3264 वर्गमीटर उद्योग विहार फेज द्वितीय, श्रीगंगानगर व अनिल सिंगल की सम्पत्ति डी—3, कुंज विहार विस्तार, श्रीगंगानगर साईज (39'X69')** के नाम से है, पर **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14** के तहत कार्रवाई का प्रश्न है, उक्त दोनों सम्पत्तिया निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के **क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

**जहां तक** धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.04.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 13.04.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1. मै. श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि, 2. मदनलाल सिंगल, 3. अनिल सिंगल, 4. सोनू सिंगल के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप रजिस्टर्ड एडी पर प्राप्ति के हस्ताक्षर और अप्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक को दिनांक 08.07.2017 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 15.07.2017 को निस्तारित किया जा चुका है और इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

70/2018 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर A3/7



ऋणी फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर का सिविल रिट संख्या 10893/2017 निर्णय दिनांक 27.07.2017 किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। ऐसी दशा में ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2018 अन्तर्गत धारा 14वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी फर्म एवं जमानतदारों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पतियां श्रीगंगानगर ग्वार गम प्राईवेट लि. सम्पत्ति एफ–382 साईज 3264 वर्गमीटर उद्योग विहार फेज द्वितीय, श्रीगंगानगर व अनिल सिंगल की सम्पत्ति डी–3, कुंज विहार विस्तार, श्रीगंगानगर साईज (39'X69') जिनमें उक्त सम्पत्तियों की भूमि, भवन ढांचा आदि जो की सभी सम्पत्तियों के अभिन्न अंग है, जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर